

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़।

पत्रांक: विविध / 8470-78 / स्वच्छता पखवाड़ा / 2026-27 / दिनांक 29 अगस्त, 2026
सेवा में,

1. समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, जनपद पिथौरागढ़।
2. समस्त उप शिक्षा अधिकारी, जनपद पिथौरागढ़।

विषय— स्वच्छता पखवाड़ा (राजकीय/सहायता प्राप्त/निजी) विद्यालयों/कार्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा (01-15 सितम्बर, 2026) मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक DIR-SE-(08)/31/2026 / स्वच्छता पखवाड़ा / 2026-27, दिनांक 27 अगस्त, 2026 पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विद्यालयों में स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता उत्पन्न करने तथा स्वच्छता को दैनिक व्यवहार का अभिन्न अंग बनाने के उद्देश्य से दिनांक 01 सितम्बर, 2026 से 15 सितम्बर, 2026 तक स्वच्छता पखवाड़ा-2026 का आयोजन किया जाना है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने विकासखण्ड के समस्त राजकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में निम्नानुसार गतिविधियां निर्धारित तिथियों में आयोजित करवाना सुनिश्चित करें—

1. स्वच्छता शपथ एवं शुभारंभ (01 सितम्बर, 2026)–

- पखवाड़े के प्रथम दिवस विद्यालयों/कार्यालयों में स्वच्छता शपथ दिलाई जाए।
- प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा स्वच्छता के महत्व पर विद्यार्थियों को संबोधित किया जाए।
- प्रार्थना सभा में प्रतिदिन स्वच्छता संबंधी संदेश प्रसारित किया जाए।

2. विद्यालय परिसर की विशेष स्वच्छता (02 सितम्बर, 2026)–

- कक्षाओं, कार्यालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल मैदान, बरामदे एवं विद्यालय के प्रदेश द्वार की विशेष सफाई कराई जाए।
- विद्यालय/कार्यालय परिसर में उगी झाड़ियों, खरपतवार एवं अनावश्यक कूड़े का निस्तारण कराया जाए।
- विद्यालय/कार्यालय परिसर को प्लास्टिक एवं अन्य अनुपयोगी सामग्री से मुक्त रखा जाए।

3. शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था (03 सितम्बर, 2026)–

- बालक एवं बालिकाओं के शौचालयों की नियमित एवं विशेष सफाई सुनिश्चित की जाए।
- शौचालयों में पर्याप्त पानी, साबुन/हैंडवॉश, प्रकाश एवं वेंटिलेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- खराब नल, फ्लश, पाइप, दरवाजे आदि की आवश्यक मरम्मत कराई जाए।
- विद्यालय के सभी पेयजल स्रोतों की स्वच्छता एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- बालिकाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता संबंधी आवश्यक सुविधाओं एवं जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

4. व्यक्तिगत स्वच्छता एवं हाथ धोने का अभियान (05 सितम्बर, 2026)–

- विद्यार्थियों को भोजन से पूर्व एवं शौचालय के उपयोग के पश्चात साबुन से हाथ धोने, नाखून एवं दाँतों की नियमित सफाई, स्वच्छ वस्त्र पहनने तथा व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया जाए। विद्यार्थियों को हाथ धोने की सही विधि का प्रदर्शन भी कराया जाए।

5. कचरा प्रबंधन एवं प्लास्टिक मुक्त विद्यालय (07 सितम्बर, 2026)–

- गीले एवं सूखे कचरे को पृथक रखने की व्यवस्था की जाए।
- विद्यालय में पर्याप्त डस्टबिन उपलब्ध कराए जाएं।
- एकल-उपयोग प्लास्टिक के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाए।
- कागज एवं अन्य पुनर्चक्रण योग्य सामग्री के पुनः उपयोग/पुनर्चक्रण को बढ़ावा दिया जाए।
- विद्यालय परिसर में कचरा जलाने की प्रवृत्ति को रोका जाए।

6. जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण (08 सितम्बर, 2026)–

- विद्यालय में पानी के रिसाव वाले नलों एवं पाइपों की तत्काल मरम्मत कराई जाए।
- विद्यार्थियों को जल की बचत एवं जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाए।
- वर्षा जल संचयन की उपलब्ध व्यवस्था का निरीक्षण किया जाए तथा आवश्यकता होने पर इसके लिए कार्ययोजना तैयार की जाए।

- विद्यालय परिसर में पौधारोपण एवं हरित क्षेत्र के संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाए।
- 7. स्वच्छता संबंधी जागरूकता गतिविधियां (09 सितम्बर, 2026)–
 - विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए निबंध, पोस्टर, चित्रकला, स्लोगन, भाषण, प्रश्नोत्तरी, कविता, कहानी, नुक्कड़ नाटक, स्वच्छता रैली आदि प्रतियोगिताएं/गतिविधियां आयोजित की जाएं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर प्रोत्साहित किया जाए।
- 8. अभिभावक एवं समुदाय की सहभागिता (10 सितम्बर, 2026)–
 - विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति, अभिभावक-शिक्षक संघ तथा स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। विद्यार्थियों को अपने घर एवं आसपास के क्षेत्र में भी स्वच्छता का संदेश प्रसारित करने के लिए प्रेरित किया जाए।
- 9. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूकता (11 सितम्बर, 2026)–
 - जहाँ संभव हो, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता, पोषण, स्वच्छ पेयजल, संक्रामक रोगों से बचाव, दंत स्वच्छता एवं किशोर स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
- 10. स्वच्छ कक्षा एवं स्वच्छ विद्यालय (12 सितम्बर, 2026)–
 - विद्यालयों में कक्षा-वार स्वच्छता व्यवस्था विकसित की जाए। स्वच्छता, अनुशासन एवं उत्कृष्ट रखरखाव के आधार पर "स्वच्छ कक्षा" एवं "स्वच्छ विद्यालय" की गतिविधि/प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है।
- 11. निरीक्षण एवं अनुश्रवण (14 सितम्बर, 2026)–
 - आप स्वयं अपने जनपद के विद्यालयों/कार्यालयों में स्वच्छता पखवाड़े के प्रभावी संचालन का अनुश्रवण करेंगे तथा खंड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को आवश्यक निर्देश प्रदान करेंगे। विद्यालयों/कार्यालयों में शौचालय, पेयजल, हाथ धोने की सुविधा, कचरा प्रबंधन एवं परिसर की स्वच्छता की स्थिति का विशेष निरीक्षण कराया जाए।
- 12. अभिलेखीकरण एवं रिपोर्टिंग (15 सितम्बर, 2026)–
 - प्रत्येक विद्यालय द्वारा आयोजित गतिविधियों का दिनांकवार विवरण सुरक्षित रखा जाए। गतिविधियों के फोटोग्राफ/वीडियो तथा प्रतिभागियों की संख्या सहित संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार की जाए। विकासखण्ड स्तर पर समस्त विद्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट का संकलन कर निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अतः उपर्युक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने विकासखण्ड के समस्त विद्यालयों में उक्तानुसार स्वच्छता पखवाड़ा-2026 की गतिविधियां निर्धारित तिथियों में अनिवार्य रूप से आयोजित करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि स्वच्छता पखवाड़े की गतिविधियां केवल निर्धारित अवधि तक सीमित न रहें, बल्कि विद्यालयों/कार्यालयों में नियमित एवं सतत स्वच्छता व्यवस्था के रूप में संचालित होती रहें।

संलग्नक- एस0ओ0पी0/दिशा-निर्देश

मुख्य शिक्षा अधिकारी
पिथौरागढ़

पृ0सं0/विविध/ 8470-78

/ स्वच्छता पखवाड़ा / 2026-27 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, महोदय, पिथौरागढ़।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त, प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक/ शासकीय/अशासकीय/निजी विद्यालयों पिथौरागढ़ को उक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. कार्यालय पत्रावली।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
पिथौरागढ़